रेल दावा अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ

वाद संख्या–TAU/ALD/240/2020 (OA/IIu/LKO/539/2015)

पीठासीनः

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक)/इलाहाबाद न्यायपीठ

संस्थन की तिथिः 15.05.2015
निर्णय की तिथिः 06.06.2024

1. शिव करन (पति) उम्र लगभग 36 वर्ष
2. शैलेन्द्र (पुत्र) उम्र लगभग 07 वर्ष
3. अंजनी (पुत्री) उम्र लगभग 03 वर्ष

आवेदक सं. 2 व 3 अवयस्क हैं और अपने प्राकृतिक संरक्षक व पिता आवेदक सं. 1 के संरक्षण में हैं।
सभी निवासी– ग्राम– भभई, पोस्ट– पुरवा, तरौहा, तहसील– कर्वी, जिला– चित्रकूट।

....आवेदकगण

बनाम

भारत संघ,

द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

....उत्तरदाता

दावा राशिः रू. 6,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः

याची की ओर से– श्री पी.के.सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से– श्री देवेन्द्र त्रिपाठी, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक)ः

1. आवेदकगण की ओर से यह याचिका रेल दावा अधिनियम 1987 की धारा 16 के तहत दिनॉक 22.09.2014 को अपनी पत्नी सत्यभामा (मृतका) की रेल दुर्घटना में मृत्यु होने के परिणामस्वरूप भारत संघ, द्वारा महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में छः लाख रूपये मय ब्याज सादर दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी।

2. आवेदकगण के अभिकथन के अनुसार मृतक दिनॉक 22.09.2014 को द्वितीय श्रेणी टिकट के साथ चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन से अतर्रा रेलवे स्टेशन तक की यात्रा पैसेन्जर ट्रेन से कर रहा था। मृतका शिवरामपुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक ट्रेन से गिर गयी और उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट कहीं गुम हो गया। मृतका की मृत्यु उत्तरदाता द्वारा बरती गयी कुप्रबंधन के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में उत्तरदाता से, आवेदकगण 06 लाख रूपये प्रतिकर के साथ उक्त राशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है।

3. उत्तरदाता की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मृतका ट्रेन में यात्रा नहीं कर रही थी। मृतका दुर्घटनावश ट्रेन से नहीं गिरी है। आवेदकगण द्वारा यह याचिका झूठी है एवं असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है। मृतका की मृत्यु अनपेक्षित

घटना के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः यह याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

वाद–बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 22.08.2016 को वाद बिन्दु बनाये गये, जिनका हिन्दी रूपान्तरण निम्नवत् हैः–

   1. क्या मृतका प्रश्नगत रेलगाड़ी की सद्भावी यात्री थी?
   2. क्या मृतका की मृत्यु से संबंधित घटना रेलवे अधिनियम की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124 (ए) के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?
   3. क्या आवेदकगण मृतका के आश्रित हैं?
   4. आवेदकगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. आवेदक सं. 1 शिव करन की ओर से इस याचिका के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र अ.स.क. 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथा श्री राम भद्र पाण्डेय को अ.स.क. 2 के रूप में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

6. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या (डी.आर.एम. रिपोर्ट) मय दस्तावेज प्रस्तुत की गयी है।

7. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के.सिंह बहस हेतु उपस्थित नहीं। उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र त्रिपाठी द्वारा बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद–बिन्दु संख्या–2 व 3

8. उपरोक्त वाद–बिन्दु एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण दोनों वाद–बिन्दुओं के निराकरण एक साथ किया जा रहा है। उपरोक्त बिन्दुओं के तारतम्य में यह भी देखना है कि क्या मृतका प्रश्नगत रेलगाड़ी की सद्भावी यात्री थी और साथ ही जो घटना घटित हुयी है, क्या वह अनपेक्षित घटना की परिभाषा के अन्तर्गत आती है। धारा 2 (29), रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सद्भावी यात्री एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा किसी तारीख को यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई प्लेटफार्म टिकट लिया हो और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है। 'अनपेक्षित घटना', रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) (2) सपठित धारा 124 से स्पष्ट है कि एक यात्री को ले जाने वाली गाड़ी से यदि किसी यात्री की दुर्घटनावश गिरने से मृत्यु हो जाती है तो वह घटना, अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आयेगी। धारा 124 में रेलवे प्रशासन के दायित्व की सीमा कहॉ तक है, इसका वर्णन किया गया है। अब यह देखना है कि उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में आवेदकगण की ओर से अपने प्रकरण को कहॉ तक प्रमाणित किया गया है।

9. आवेदक शिव करन अ.स.क्र. 1 में अपने शपथ पत्र के माध्यम से दिये कथनों में यह कहा गया है कि मृतका सत्यभामा उसकी पत्नी थी और वह चित्रकूटधाम कर्वी दर्शन करने गयी थी और दिनांक 22.09.2014 को पैसेन्जर ट्रेन से चित्रकूटधाम कर्वी से अतर्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का रेलवे टिकट लेकर वापस आ रही थी। जब ट्रेन

शिवरामपुर रेलवे स्टेशन के पास चल रही थी तभी अचानक झटका लगने के कारण मृतका ट्रेन से गिर गयी तथा गिरने से आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। यह भी कहा है कि मृतका का बैग, टिकट व अन्य सामान दुर्घटना में कहीं गुम हो गया। अपने कथनों के समर्थन में आवेदक की ओर से पुलिस रिपोर्ट, पंचनामा तथा शव विच्छेदन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं।

10. अ.स.क्र. 1 का प्रति परीक्षण तत्कालीन बेंच द्वारा यह कहते हुए नहीं किया गया कि वह दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। प्रकरण में अन्य साक्षी अ.स.क्र. 2 राम भद्र पाण्डेय ने कहा है कि वह मृतका सत्यभामा को भली–भांति जानता था। साक्षी भी चित्रकूटधाम कर्वी दर्शन करने गया था और कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण वहीं रूक गया था। आगे कहा है कि वह दिनांक 22.09.2014 को मृतका को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था जहां पर उसकी उपस्थिति में मृतका ने द्वितीय श्रेणी का टिकट चित्रकूटधाम कर्वी से अतर्रा रेलवे स्टेशन तक का खरीदा था। आगे कहा है कि उसने मृतका को पैसेन्जर ट्रेन में बैठा दिया था और उसके बाद वापस आ गया था। बाद में उसे पता चला कि मृतका की ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो गयी है। अनावेदक रेलवे द्वारा प्रति परीक्षण के दौरान साक्षी ने पुनः दोहराया है कि मृतका उसके सामने टिकट लाइन में लगी थी और टिकट खरीदा था। इस बात से इन्कार किया है कि वह मृतका को रेलवे स्टेशन छोड़ने नहीं गया था। हालांकि अनावेदक रेलवे द्वारा किये गये इस साक्षी के प्रति परीक्षण दिनांक 05.02.2020 पर अधिकरण के तत्कालीन सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं किन्तु आदेश पत्रिका दिनांक 05.02.2020 में यह अवलोकित है कि उस दिनांक को दोनों साक्षी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुए तथा उनके साक्ष्य लिये गये थे और प्रति

परीक्षण के बाद उन्हें मुक्त किया गया था और इस आदेश पत्रिका पर तत्कालीन सदस्य के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। अतः प्रति परीक्षण के दौरान अ.स.क्र. 2 के कथन से स्पष्ट है कि उसने मृतका को ट्रेन में बैठाया था और मृतका ने टिकट लाइन में लग कर द्वितीय श्रेणी का रेलवे टिकट चित्रकूटधाम कर्वी से अतर्रा रेलवे स्टेशन तक का खरीदा था।

11. अनावेदक रेलवे की ओर से खण्डन में किसी साक्षी के साक्ष्य नहीं कराये गये हैं, केवल डी.आर.एम. रिपोर्ट पेश की गयी है और उसे ही साक्ष्य के रूप में पढ़े जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है। डी.आर.एम. रिपोर्ट में अनावेदक रेलवे की ओर से यह कहा गया है कि मृतका बिना अधिकार के रेलवे लाइन पार कर रही थी और किसी ट्रेन की चपेट में आकर उसका शरीर दो भागों में कट गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। यह दुर्घटना मृतका की स्वयं की लापरवाही से कारित हुयी है और इसमें रेलवे प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस सम्बन्ध में रेलवे की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है और उसमें संलग्न उप–स्टेशन प्रबंधक/चित्रकूटधाम कर्वी के डायरी की सत्य प्रतिलिपि और मेमो की सत्य प्रतिलिपि आदि प्रस्तुत की गयी हैं। अतः इस सम्बन्ध में अब यह देखना है कि शिवराम अ.स.क्र 1 व राम भद्र पाण्डेय अ.स.क्र. 2 के कथनों पर कितना विश्वास किया जा सकता है।

12. प्रकरण में अ.स.क्र. 1 के कथनों में कहा गया है कि उसकी पत्नी चित्रकूटधाम कर्वी से अतर्रा रेलवे स्टेशन के लिए द्वितीय श्रेणी रेलवे टिकट लेकर यात्रा कर रही थी और ट्रेन से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुयी थी। लेकिन अनावेदक रेलवे की ओर से साक्षी पर कोई प्रति परीक्षण नहीं किया गया है और न ही कोई ऐसा सुझाव दिया गया

है कि मृतका टिकट लेकर यात्रा नहीं कर रही थी तथा लाइन पार करते समय उसकी मृत्यु हुयी थी। अनावेदक रेलवे की डी.आर.एम. रिपोर्ट के साथ जो मेमो संलग्न है उसमें स्टेशन प्रबन्धक/चित्रकूटधाम कर्वी को इस मेमो जिस पर 12/5 अंकित है, के जरिये यह कहा है कि गाड़ी सं. 51819 के ड्राइवर श्री राम चन्द्र ने बताया है कि किमी. 1381/3–4 पर एक औरत कट गयी है। लेकिन इस गाड़ी के ड्राइवर को यह गवाही देने न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं बुलाया गया और न ही गैंगमैन श्री शिव पूजन को प्रस्तुत किया गया जो इस बारे में साक्ष्य दे सकते थे कि उन्होंने मृतका को किस ट्रेन से कटते देखा तथा कटने से पूर्व मृतका क्या रेलवे लाइन पार कर रही थी। जब कि एनेक्शचर ए–2 जो कि शिवरामपुर चौकी द्वारा दिनांक 01.06.2015 को दिया गया है, उसमें अंकित है कि मृतका की मृत्यु ट्रेन से पैर फिसल कर गिरकर ट्रेन से कटकर होना बताया गया है। अतः इस सम्बन्ध में जो अनावेदक रेलवे की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वह किसी भी साक्षी के कथनों से समर्थित नहीं है तथा जांच रिपोर्ट विश्वसनीय योग्य नहीं है। जब कि आवेदक की ओर से दोनों साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर अखण्डित कथन दिये हैं कि मृतक द्वितीय श्रेणी का रेलवे टिकट लेकर ट्रेन से यात्रा कर रही थी और ट्रेन से गिरने से उसकी मृत्यु हुयी है। अतः इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व आवेदक की ओर से प्रस्तुत कथनों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित है कि मृतका वैध टिकट लेकर ट्रेन से यात्रा कर रही थी और उसकी मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण आयी चोटों से हुयी थी।

13. अनावेदक रेलवे ने अपने कथन में कहा है कि मृतक के साथ यह दुर्घटना उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई है जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रीना देवी बनाम भारत संघ (CA No 4945 of 2018(SLP (Civil)No.10223 @ D.No.6059/2018) में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि,

"16.6 We are unable to uphold the above view as the concept of 'self-inflicted injury' would require intention to inflict such injury and not mere negligence of any particular degree.

Doing so would amount to invoking the principle of contributory negligence which cannot be done in the case of liability based on 'no fault theory'. We may in this connection refer to judgment of this Court in United India Insurance Co Ltd., versus Sunil Kumar laying down that plea of negligence of the victim cannot be allowed in claim based on 'no fault theory' under Section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988. Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

14. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रीना देवी के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार आवेदकगण यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि मृतका सद्भावी यात्री होकर ट्रेन से यात्रा कर रही थी तथा उसकी मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप हुयी थी।

15. अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली पर मौजूद सभी दस्तावेजों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतका सद्भावी यात्री होकर ट्रेन से यात्रा कर रही थी तथा मृतक की मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी है, जो कि रेल अधिनियम की धारा– 123 (सी) (2), सपठित धारा 124–ए, रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित रेल दुर्घटना' की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 व 2, तद्नुसार सकारात्मक रूप से आवेदकगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु संख्या–3</u>

16. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक के आश्रित कौन हैं? इस सम्बन्ध में अ.स.क्र. 1 शिव करन ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से कहा है कि वह मृतका का पति है और उसके अलावा मृतका के आश्रित की श्रेणी में उसका एक अवयस्क पुत्र शैलेन्द्र और एक अवयस्क पुत्री अंजनी है तथा इनके अलावा और कोई वारिस नहीं है। इस सम्बन्ध में आवेदक की ओर से दोनों को आवेदन पत्र में आवेदक सं. 2 व 3 के रूप में आवेदक बनाया गया है। आश्रितता के सम्बन्ध में आवेदक सं. 1 शिव करन की ओर अपने शपथ पत्र के मद सं. 5 द्वारा भी यह स्पष्ट किया है कि मृतकर की मृत्यु के बाद आवेदकगण ही मृतक के आश्रित हैं। यह साक्ष्य अखण्डित हैं। अनावेदक रेलवे की ओर से इस सम्बन्ध में कोई खण्डित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदकगण, मृतक के आश्रित हैं तथा मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। धारा 123 (बी) (1) रेल अधिनियम, 1989 के अनुसार– डिपेंडेंट के अन्तर्गत यदि मृतक विवाहित था, तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रितों के अन्तर्गत उसके माता–पिता, पति/पत्नी व बच्चे प्रथम आश्रित के रूप में सम्मिलित होंगे। अतः उक्त प्रावधान एवं आवेदकगण के कथनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णीत किया जाता है कि मृतका के वारिस के रूप में आवेदकगण, मृतक के आश्रित हैं। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 3 आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या–4

17. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877, दिनांक 22.12.2016 द्वारा

संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में आवेदकगण, प्रतिकर के रूप में रू. 8,00,000/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

18. आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता को निर्देशित किया जाता है कि वह कुल रू. 8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करेंगे।

19. जहॉ तक एवार्ड राशि को आवेदकगण में वितरण का सवाल है, इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्रकरण गीता देवी बनाम भारत संघ मामले में लिये गये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एवार्ड राशि का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा–

क. एवार्ड की गयी धनराशि कुल रू. 8,00,000/–(रूपये आठ लाख मात्र) में से रू. 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) आवेदक सं. 1 शिव करन तथा शेष एवार्ड राशि रू. 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) में से रू. 2–2 लाख आवेदक सं. 2 शैलेन्द्र व आवेदक सं. 3 अंजनी, प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

ख. आवेदक सं. 1 शिव करन को आवंटित एवार्ड धनराशि रू. 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) का 10 प्रतिशत, रू. 40,000/– (रूपये चालीस हजार मात्र) की राशि,

ई.सी.एस. द्वारा उनके एकल बचत बैंक खाते में भुगतान की जाएगी तथा शेष राशि रू. 3,60,000/– (रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र) एफ.डी.आर. के रूप में 03 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका आनुपातिक ब्याज आवेदक सं. 1 अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करती रहेंगी।

ग. आवेदक सं. 2 शैलेन्द्र व आवेदक सं. 3 अंजनी, रू. 2–2 लाख प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। चूंकि आवेदक सं. 2 व 3 अवयस्क हैं, अतः इन्हें एवार्ड की गयी धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में उनके वयस्क होने के समय तक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका आनुपातिक ब्याज वे अपने–अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करते रहेंगे। आवेदक सं. 2 व 3 के वयस्क होने पर उन्हें उक्त भुगतान नियमानुसार देय होगा।

20. मूल नियत निक्षेप, बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।

21. आवेदकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने एकल बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक को, उत्तरदाता द्वारा एवार्ड राशि का भुगतान इस न्यायाधिकरण के सूटर्स बैंक खाते में किये जाने के बाद से, एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

22. एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि आवेदकों को उनके सम्बंधित बचत बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

23. बैंक, आवेदकों की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। सभी आवेदक विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदकों को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

24. प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णीत प्रतिकर की एवार्ड धनराशि, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के सूटर्स बैंक खाता में जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 60 दिन के भीतर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है, तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक, 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि गणना सीट के साथ इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के पास जमा करायें। इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक एवार्ड की धनराशि का, आवेदकों द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, 90 दिनों के भीतर भुगतान करें।

25. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाए और आवेदकों को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तद्नुसार, समस्त औपचारिकताऍ पूर्ण होने के उपरान्त फाइल को दाखिल–दफ्तर किया जाए।

26. पत्रावली दिनांक 11.09.2024 को उक्त आदेश के अनुपालन सम्बन्धी जांच हेतु नियत की जाती है।

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)